Regarding discrimination against Bengali migrant workers

श्री यूसुफ पठान (बहरामपुर) : महोदय, आज यहां मजदूरों के बारे में डिस्कशन हुआ और बहुत गहराई से उनकी सुरक्षा के बारे में बातचीत हुई । मैं देश भर में बंगाली भाषा, प्रवासी मजदूरों के साथ हो रही हिंसा और भेदभाव की बढ़ती घटनाओं के बारे में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं ।

वैध पहचान-पत्र होने के बावजूद इन मजदूरों को बांग्लादेशी कहकर बदनाम किया जा रहा है । उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर उनको घरों और कार्यस्थलों से बाहर निकाला जा रहा है । बांग्ला भाषा को बदनाम करने की कोशिश सार्वजनिक अधिकारियों के द्वारा भी की जा रही है । उदाहरण के तौर पर दिल्ली पुलिस ने बांग्ला भाषा को बांग्लादेश की राष्ट्र भाषा कहा, जबकि बांग्ला भाषा न केवल संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है, बल्कि इसे वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा एक शास्त्रीय भाषा, क्लासिक लैंगुएज का दर्जा भी दिया गया है ।

बंगाली प्रवासी मजदूरों के खिलाफ चलाए जा रहे इस घृणित अभियान के कारण अब तक 24 हजार से अधिक मजदूरों को वापस बंगाल भेजा जा चुका है । इस तरह की शत्रुता, नफरत और उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के निषेध का उल्लंघन करता है । इसके अलावा यह अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत देश में स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार, अनुच्छेद 21 (1) (ई) के तहत देश में कहीं भी रहने और बसने के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार के भी खिलाफ है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बंगाली प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए तत काल हस्तक्षेप करे ।